

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 27-04-18

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

जमानत आवेदन क्रमांक : 123/18

शहीद खां पुत्र जुम्मन खां जाति
मुसलमान निवासी ग्राम पिपाहड़ी थाना
गोहद चौराहा परगना गोहद जिला
जिला-भिण्ड (म0प्र0) — आवेदक

बनाम

शासन पुलिस थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड (म0प्र0) — अनावेदक

27.04.18

आवेदक/अभियुक्त शहीद खां द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर
अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी0एस0बघेल उपस्थित।
पुलिस थाना गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड, के अपराध क्रमांक
52/18 अंतर्गत धारा 452, 323, 294, 506, 34 भा.दं.सं. की केस डायरी
प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 के
संदर्भ में सुना गया।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम
नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च
न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत आवेदन
लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में आवेदक के पुत्र
इकबाल खां का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने किसी
प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरोधियों ने उसकी
रास्ते से गुजरते समय मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट गोहद चौराहा
पर की थी उक्त अपराध से बचने के लिये आवेदक के विरुद्ध
गलत रूप से अपराध लेखबद्ध कराया है। उसका धारा 437 द0प्र0सं0
का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वह
न्यायिक निरोध में है। वह गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, उसके अधिक
समय निरोध में रहने से उसके परिवार की आजीविका ही समाप्त हो
जायेगी। उसके फरार एवं साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की संभावना
नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों का पालन करने
के लिये तैयार है। अतः प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का निवेदन

किया है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का विरोध करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी अवलोकन से यह आक्षेपित है कि 23-03-2018 के करीबन 1:00 बजे ग्राम ग्राम पिपाडी में आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ फरियादी नरेश दर्जी के घर के अंदर पुरानी रंजिश पर से गिराज गुर्जर ने मां-बहिन की अश्लील गालियां दी, गाली देने से मना करने पर फरियादी की लाठी से मारपीट की तथा फरियादी को बचाने आये भाई रामभोग, भतीजा अभिषेक व बहू वर्षा को आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सह अभियुक्तगण ने डण्डा से मारपीट की जिससे आहतगण को चोटें आयीं मौके पर गजेन्द्र गुर्जर व जयगोविन्द ने बीचबचाव कराया जाते समय अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी।

आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 452, 323, 294, 506, 34 के तहत दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। उक्त आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24-03-2018 से न्यायिक निरोध में हैं। आवेदक की निरोध अवधि, केस डायरी में आये तथ्यों एवं संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण दोषों पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारोपरांत प्रतिभूति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त **शहीद खां** द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/-रुपये की एक सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि स्वयं का बंध-पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर रिहा किया जावे :-

1. यह कि, अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।
2. यह कि, विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
3. यह कि, पुनः समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगा तथा नियत पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे। आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे।

सही/-

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक
प्रतिलिपि:-

गोहद, दिनांक.....

1. जे0एम0एफ0सी0, गोहद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना गोहद चौराहा की ओर अपराध क्रमांक 52/18 की केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित।

सही / -

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)